

22/02/22

वादी मय वकील अनुपस्थित। प्रतिवादीगण
के विरुद्ध पूर्व में एकपक्षीय कार्यवाही की जा
चुकी है। वादी एवं वकील वादी को बार-बार
आवाज दी गई, बावजूद इसके वादी मय वकील
अनुपस्थित। अतः वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादी
गण अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188, 92A
अदम हाजरी अदम पैरवी में शरीफ किया
जाता है, पनावली फैंसल शूमार होकर नंबर
से कम है।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी